



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय

Headquarters

पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002

PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002

Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in

Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

N-15011/7/2022-P&D

दिनांक : 05.05.2025

परिपत्र / Circular

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 उपधारा 3 के अंतर्गत ओडिशा राज्य के बौध जिले के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना संबंधी / Notification under sub section 3 of Section 1 of ESI Act in entire area of Boudh district in the State of Odisha.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड(ii) में दिनांक 30.04.2025 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 1946(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2025 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- **CG-DL-E-01052025-262792**)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के बौध जिले के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 1946 (E) dated 30.04.2025 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 30.04.2025 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-01052025-262792)

Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in entire area of Boudh district in the State of Odisha shall be effective from 01.05.2025.

अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है The Current Status of Notified/ Non-Notified districts is as under:

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	601
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	93
गैर अधिसूचित जिले/ Non Notified Districts	84
कुल / Total	694/778

संलग्नक – यथोपरि

(जोश मार्टिन सी. जी.)

संयुक्त निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक: ओडिशा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु। (उक्त नए अधिसूचित जिलों की नियोक्ता पोर्टल और बीमा मॉड्यूल में mapping कराना भी सुनिश्चित करें।)
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन: मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. आईसीटी प्रभाग-मुख्यालय: उक्त नए अधिसूचित जिलों की नियोक्ता पोर्टल और बीमा मॉड्यूल में mapping करना भी सुनिश्चित करें।

